सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-05

शुक्रवार, दिनांक-04 मार्च, 2022 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.50 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह विषय अलग-अलग फोरम पर आया है तथा सरकार ने इसपर जवाब भी दिया है । आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपनी मांगों को उचित समय पर उठाने का आग्रह किया गया ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 06 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 20 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 03 तारांकित प्रश्न संख्या-465, 469, 476 गृह विभाग में स्थानांतरित तथा 01 तारांकित प्रश्न संख्या-470 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित ।

(v) 146 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-22 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को निदेश दिया गया कि प्रश्नगत विषय पर चलते सत्र में सूचना उपलब्ध करायें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-464 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से प्रतिवेदन मंगवा लें ।

प्रश्नकाल के दौरान आसन द्वारा कहा गया कि सरकार सजगता से शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है । माननीय सदस्य भी सभी जवाब को पढ़कर पूरक प्रश्नों की पूरी तैयारी कर सदन में आयें । सदन का समय कीमती है इसलिए बिना भूमिका बनाये पूरक प्रश्न पूछें ताकि सदन का समय बच सके और दूसरे सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का मौका मिले ।

तारांकित प्रश्न संख्या-484 के निस्तारण के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा सरकार के स्तर से आयोजित शिलान्यास/उदघाटन तथा अन्य विशेष अवसरों पर माननीय सदस्यों को आमंत्रित नहीं किये जाने का मामला उठाया गया, जिसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री भाई बीरेन्द्र, श्री प्रहलाद यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महबूब आलम एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा बारी-बारी से अपना पक्ष रखा गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह विषय पहले भी उठा है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में सरकार की ओर से स्पष्ट किया था कि शिलान्यास और उदघाटन में माननीय विधायकों को आमंत्रित करने संबंधी प्रोटोकॉल का पालन किया जाय । पूर्व में भी विशेषाधिकार की बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विधायिका को मजबूत करना, सुशासन को स्थापित करना है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रोटोकाल संबंधी आदेश निर्गत किया है उसका अनुपालन सरकार के पदाधिकारी निश्चित रूप से करें ।

तदुपरान्त माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने भी पुनः सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पूर्व से ही निदेशित है जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है कि विधान मंडल के माननीय सदस्यों को शिलान्यास/उदघाटन अथवा किसी विशेष अवसर पर सादर आमंत्रित करते हुए शिलापट्ट पर उनका नाम भी अंकित किया जाता है । सरकार आश्वस्त करती है कि इसमें किसी प्रकार की अनदेखी की जाती है तो सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

[2] आसन का संदेश :-

आसन द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी करने के संबंध में कहा गया कि आपका कमेंट कहीं न कहीं आपको कमजोर करता है । विधायिका को कमजोर करने वाला शब्द या मानसिकता कहीं न कहीं पदाधिकारियों के बीच विधायिका के लिए अराजकता उत्पन्न करती है और यही गलती वर्षों से होती चली आ रही है, जिसके कारण पदाधिकारी आपकी गंभीरता को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते हैं । जिस दिन विधायिका को मजबूत करने की मानसिकता सदन बना लेगी और विधायिका को सरकार संरक्षित करेगी तब पदाधिकारियों में विधायिका के लिए अराजकता का भाव समाप्त हो जायेगा ।

[3] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री महा नंद सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री छोटे लाल राय, श्री सुदामा प्रसाद, श्री मनोज मंजिल, श्री संदीप सौरभ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव अमान्य किये जाने पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे ।

तदुपरान्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बेलागंज की घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा सरकार से इसपर संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया ।

सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि सरकार आसन का सम्मान करती है और इसे स्वतः संज्ञान में ले लिया गया है तथा स्पष्ट किया कि जो विषय शून्यकाल में अथवा राज्य में घटित विशेष घटना, चर्चा होती है उसे सरकार वैसे भी संज्ञान में ले लेती है ।

माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कहा गया कि आसन का निदेश भी प्राप्त हुआ है । सदन में जो भी बातें आती हैं, सरकार तो वैसे भी उसे संज्ञान में लेती है ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री मिश्री लाल यादव
(ii) श्री मु० इजहार असफी
(iii) श्री संजय कुमार गुप्ता
(iv) श्री अजय कुमार सिंह

(v) श्री कुंदन कुमार
(vi) श्री मुकेश कुमार यादव
(vii) श्री विद्या सागर केशरी
(viii) श्री मिथिलेश कुमार
(ix) श्री मनोज मंजिल
(x) श्री अनिल कुमार
(xi) श्री निरंजन राय
(xii) श्री छोटे लाल राय
(xiii) श्री भूदेव चौधरी
(xiv) श्री पवन कुमार यादव
(xv) श्री राजेश कुमार गुप्ता
(xvi) श्री जय प्रकाश यादव
(xvii) श्रीमती संगीता कुमारी
(xviii) श्री प्रणव कुमार
(xix) श्री मुकेश कुमार रौशन
(xx) श्री कृष्ण नंदन पासवान
(xxi) श्री कुमार शैलेन्द्र
(xxii) श्री विजय कुमार खेमका
(xxiii) श्री राजकुमार सिंह
(xxiv) श्री अवध विहारी चौधरी
(xxv) श्री रामबली सिंह यादव
(xxvi) श्री मुरारी प्रसाद गौतम
(xxvii) श्री सतीश कुमार
(xxviii) श्री मुरारी मोहन झा
(xxix) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxx) श्री विनय कुमार चौधरी
(xxxi) श्री इजहारूल हुसैन
(xxxii) श्री राम चन्द्र प्रसाद
(xxxiii) श्री विनय कुमार
(xxxiv) श्री रणविजय साहू
(xxxv) श्री ऋषि कुमार
(xxxvi) श्री संतोष कुमार मिश्र
(xxxvii) श्री भरत बिंद
(xxxviii) श्री छत्रपति यादव
(xxxix) श्री महा नंद सिंह
(xl) श्री राम रतन सिंह
(xli) श्री प्रहलाद यादव
(xlii) श्रीमती ज्योति देवी
(xliii) श्री फतेह बहादुर सिंह
(xliv) श्रीमती प्रतिमा कुमारी
(xlv) श्री आलोक कुमार मेहता
(xlvi) श्री सत्यदेव राम
(xlvii) श्रीमती वीणा सिंह
(xlviii) श्री गोपाल रविदास
(xlix) श्री सुर्यकांत पासवान
(l) श्री समीर कुमार महासेठ
(li) श्री विनय बिहारी
(lii) श्री मो० इसराईल मंसूरी
(liii) श्रीमती मीना कुमारी
(liv) श्रीमती भागीरथी देवी
(lv) श्रीमती रश्मि वर्मा
(lvi) श्री सुनील मणि तिवारी
(lvii) श्री ललन कुमार
(lviii) श्री ललित नारायण मंडल
(lix) श्री विजय कुमार
(lx) श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव
(lxi) श्री मोती लाल प्रसाद
(lxii) श्री पवन कुमार जायसवाल
(lxiii) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(lxiv) श्री प्रेम शंकर प्रसाद
(lxv) श्री अरूण शंकर प्रसाद

सदन की अनुमति से 12:30 बजे अप० के उपरान्त भी शून्यकाल की सूचनाओं का निस्तारण हुआ । आसन द्वारा कहा गया कि जुमा की नवाज अदा करने के लिए जानेवाले माननीय सदस्यों की शून्यकाल सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा । आसन द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में सदन की सहमति से उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

[5] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से गृह विभाग में स्थानान्तरित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी ।

(ii) माननीय सदस्य श्री जनक सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी ।

[6] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जिवेश कुमार द्वारा बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपीकीय संवर्ग नियमावली, 2011; बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपीकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपीकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2018 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[7] आसन की सूचना :-

आसन द्वारा निम्न दो सूचनाओं से सदन को अवगत कराया गया :-

1. आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कथा शिल्पी, स्वतंत्रता सेनानी और महान चिंतक श्रद्धेय फणीश्वर नाथ रेणु जी की जयंती है । उन्होंने अपनी विरल लेखन शैली, अनुपम-आलौकिक कल्पना शक्ति और मोहिनी आंचलिक मिठास से अपने शब्दों में तत्कालीन समाज का ऐसा यथार्थवादी चित्रण किया है, जिससे उनकी रचना देश और काल की सीमा से परे होकर आज भी हमें उस समाज की पीड़ा और जीजिविषा से अवगत कराती है । उनका साहित्य हमारी प्रेरणा है और वह हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत है ।
2. आज सभी विकारों से मुक्ति करने वाली प्रकृति को सींचने वाली आदिशक्ति माँ काली के अनन्य भक्त एवं स्वामी विवेकानंद जी के गुरू श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती है । **जिनका मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है वह स्वयं के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है** । जिनका साधनामय व्यक्तित्व और सत्कर्म आज भी हमारे लिए प्रेरक और प्रासंगिक है ।

आसन द्वारा अपने एवं पूरे सदन की ओर से दोनों महान व्यक्तित्व की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया गया ।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04.05 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[8] वित्तीय कार्य :-

दिनांक 03.03.2022 से जारी वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

(i) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव
(ii) श्री राणा रणधीर
(iii) श्री शकील अहमद खाँ
(iv) श्री शाहनवाज
(v) श्री राजकुमार सिंह
(vi) डॉ० निक्की हेम्ब्रम

आय-व्ययक पर होने वाले सामान्य विमर्श के क्रम में माननीय नेता विरोधी दल के वक्तव्य के उपरान्त माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-236 का उल्लेख सदन के समक्ष किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि राज्य के विनियोग और वित्त लेखे तथा उनपर एवं स्थानीय निकायों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर सभा में विमर्श न होगा, जब तक कि नियम-239 के अधीन ऐसे लेखाओं और प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित न कर दिया जाय ।

इस दौरान आसन द्वारा सूचित किया गया कि आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से कार्यान्वित होने वाली विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यों के मेन्टेनेन्स के लिए कौन-कौन विभाग या पदाधिकारी जिन्हें वह परिसम्पति हस्तान्तरित की गयी है, उससे संबंधित संकल्प की सूचना माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग ने दी है । यह करीब 11 पृष्ठों की मार्गदर्शिका है । आसन द्वारा माननीय मंत्री से सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया गया ।

तदुपरान्त माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सरकार की ओर से विस्तार से उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।

इस दौरान आसन द्वारा सदन की कार्यवाही की समाप्ति तक सदन की अवधि का विस्तार सदन की सहमति से किया गया ।

[9] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 46 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-07 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-04.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।